अतारांकित प्र.क्र. 6054 परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2017

// आदेश //

क्रमांक एफ 10-74/2016/18-2 : : राज्य शासन एतदद्वारा मध्यप्रदेश में स्थित Cantonment Boards को नगरीय निकाय मान्य करते हुये नगरीय निकायों के अनुरूप निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया जाता है :-

(1) प्रदेश में स्थित 5 Cantonment Boards - महू, मुरार, सागर, जबलपुर तथा पचमढ़ी को नगरीय निकाय मान्य करते हुये, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयोजनेतर मद के अन्तर्गत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधा हेतु अनुदान तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रतानुसार प्रदाय किया जाए ।

(2) प्रदेश के Cantonment Boards को उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार प्रदाय किये जाने वाले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र "Financial Power Volume 2" के अनुसार बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त करके संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाए ।

(3) Cantonment Boards के नागरिकों को राज्य शासन की समेकित विकास की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी घेरलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वालों के कल्याण की योजना, मुख्यमंत्री हाथठेला/सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, केश शिल्पी कल्याण योजना इत्यादि का लाभ प्रदाय किया जाए।

(4) भविष्य में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने तथा राज्य शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने पर Cantonment Boards को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में तदनुसार संशोधन किया जाए।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(16)

क्रमांक एफ 10-74/2016/18-2

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 201

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. डायरेक्टर जनरल, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, दिल्ली.
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर e-Samiksha के प्रकरण क्रमांक-सीएससी/85/1 के परिप्रेक्ष्य में,
6. प्रमुख सचिव (समन्वय) , मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल की ओर मंत्रिपरिषद निर्णय के आयटम क्रमांक-7 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के परिप्रेक्ष्य में,
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास,
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, Cantonment Board महू, मुरार, सागर, जबलपुर तथा पचमढ़ी,
10. श्री अंशुम सिंह, वेब कन्टेंट मैनेजर, संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
11. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट "ब"

अतारांकित प्र.क्र. 6054

(राशि लाख में)

निकाय का नाम	वार्षिक पात्रता		
	सड़क मरम्मत	वाणिज्यिक कर पर अधिभार (मूलभूत सुविधा	राज्य वित्त आयोग
पचमढ़ी केन्ट	8.12	35.92	26.08
मुरार केन्ट	32.64	144.68	105.04
महूं केन्ट	55.04	243.92	177.08
जबलपुर केन्ट	48.68	215.72	156.60
सागर केन्ट	27.32	120.96	87.80
योग	**171.80**	**761.20**	**552.60**

लेखा अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग